प्रेस को सूचना विज्ञप्ति (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 41 /2021)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने " रोडमैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड एनहांस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड" पर अनुशंसाएं जारी की।

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2021: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **" रोडमैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड एनहांस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड"** पर अनुशंसाएं जारी की।

1. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 के उद्देश्यों के अनुसार ब्रॉडबैंड स्पीड और इसके वर्गीकरण, आधारभूत संरचना निर्माण और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के संवंर्धन से संबंधित मुद्दों पर प्राधिकरण से अनुशंसाओं की मांग की थी।

2. तदनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने "रोडमैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड एनहांस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड" पर दिनांक 20 अगस्त 2020 को एक परामर्श पत्र जारी किया जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की। दिनांक 18.02.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया।

3. एक अन्य संदर्भ के द्वारा दूरसंचार विभाग ने दिनांक 12 मार्च 2021 को देश में फिक्सड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार पर समेकित और नवीनतम अनुशंसाओं को आमंत्रित किया। इस संदर्भ में दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस शुल्क में छूट और ग्राहकों को प्रत्यक्ष लाभ से संबंधित अतिरिक्त मुद्दों को संदर्भित किया। इन मुद्दों पर हितधारकों के साथ परामर्श के लिए दिनांक 19 मई 2021 को एक अतिरिक्त परामर्श पत्र जारी किया। दिनांक 23.06.2021 को ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया।

4. हितधारकों से प्राप्त इनपुट और स्वयं के विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने "**रोडमैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड एनहांस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड"** पर अपनी अनुशंसाएं प्रदान कर दी हैं। इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(i) ब्रॉडबैंड की परिभाषा की समीक्षा की गई है और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए न्यूनतम डाउनलोड स्पीड को वर्तमान में 512 केबीपीएस से बढ़ाकर 2 एमबीपीएस कर दिया गया है। डाउनलोड स्पीड के आधार पर निर्धारित ब्रॉडबैंड को तीन विभिन्न श्रेणियों- बेसिक, फास्ट और सुपर-फास्ट में वर्गीकृत किया गया है।

(ii) ब्रॉडबैंड सेवाओं को प्रदान करने के लिए लाखों केबल ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए "लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्कों के अनुमान के लिए आय आधारित परिभाषा (एजीआर)" पर प्राधिकरण की भूतकाल की अनुशंसाओं को दोहराया गया है।

(iii) ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेलुलर नेटवर्क को फाइबरयुक्त करके मोबाइल ब्रॉडबैंड की स्पीड को बढ़ाने के लिए, सेवा स्तर समझौतों (एसएलए) के साथ भारतनेट नेटवर्क का प्रयोग करके ऑप्टिकल फाइबर पर बैकहॉल कनेक्टिविटी को उपलब्ध किया जाना चाहिए।

(iv) फिक्सड लाइन ब्रॉडबैंड के लिए अंतिम मील तक जुड़ाव में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के रूप में पंजीकृत केबल ऑपरेटरों के लिए कौशल विकास योजना और एक हित अनुदान योजना को अधिसूचित करें।

(v) मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ाने के लिए सेलुलर नेटवर्क की बैकहॉल कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो स्पेक्ट्रम को सेवा प्रदाताओं को मांग पर और समय सीमा के अंदर उपलब्ध किया जाना चाहिए।

(vi) आरओडब्ल्यु अनुमतियों के लिए नैशनल पोर्टल का निर्माण ताकि दूरसंचार और अन्य मूल उपयोगिता संरचनाओं को शीघ्र प्रदान किया जा सके।

(vii) नेटवर्क को फाइबरयुक्त बनाने के लिए कॉमन डक्ट्स और पोस्ट्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देना। भारतनेट प्रोजेक्ट के समान कॉमन डक्ट्स और पोस्ट्स की शीघ्र स्थापना के लिए अगले पांच वर्ष के लिए आरओडब्ल्यु शुल्कों में छूट दी जाए।

(viii) आरओडब्ल्यु में संशोधनों के लिए राज्यों/केंद्र शासित राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना (सीएसएस) बनाया जाए। एक राज्य/केंद्र शासित राज्य के ब्रॉडबैंड रेडिनेस इंडेक्स (बीआरआई) में कुल सुधार के साथ प्रोत्साहनों को जोड़ा जाए ।

(ix) सार्वजनिक निधि प्राप्त कोई भी सड़क, रेलवे और जल एवं गैस पाइपलाइनों के निर्माण के दौरान सामान्य डक्ट्स के सह-विकास को अनिवार्य बनाना।

(x) डक्ट्स, ऑप्टिकल फाइबर, पोस्ट्स आदि जैसे पैसिव आधारभूत संरचना को सांझा करने के लिए देश में उपलब्ध सभी आधारभूत संरचनाओं को प्रत्येक सेवा प्रदाता और आधारभूत संरचना प्रदाता द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र (जीआईएस) का प्रयोग करके मानचित्रबद्ध किया जाना चाहिए। दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी) द्वारा इस उद्देश्य के लिए मानदण्डों को अधिसूचित किया जाना चाहिए। पैसिव

आधारभूत संरचना को लीज पर लेने और कारोबार के लिए सामान्य जीआईएस प्लेटफॉर्म पर ई-मार्केटप्लेस की स्थापना करना।

(xi) लक्ष्य आधारित प्रोत्साहन अर्थात ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फिक्सड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार के लिए योग्य लाइसेंसधारियों को निर्धारित आयों पर लाइसेंस शुल्क (एलएफ) पर छूट दी जाए।

(xii) फिक्सड लाइन ब्रॉडबैंड ग्राहकों के विस्तार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक पायलट डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजना बनाई जाए। फिक्सड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं की वृद्धि को बढ़ावा देने में पायलट डीबीटी योजना की व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के बाद, डीबीटी योजना की विशिष्टताओं जैसे लाभार्थियों के लिए योग्यता मानदण्ड, लाभ की मात्रा, योजना की अवधि आदि पर काम किया जाना है।

5. **"रोडमैप टू प्रमोट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड एनहांस्ड ब्रॉडबैंड स्पीड "** पर अनुशंसाएं भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

हा./-

(वी. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा